115

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग०प्र०क्र० निगरानी 1681-I-15

1. घासीराम तनय मनुवां कुशवाहा
2. हरभजन तनय मनुवां कुशवाहा
3. हज्जू तनय तिजू कुशवाहा

समस्त निवासी ग्राम ममौरा तह. पृथ्वीपुर टीकमगढ़

..निगराकारगण

बनाम

1. रामदास तनय किशोरी कुशवाहा
2. कूरा तनय चह्रयां कुशवाहा

नि० ग्राम ममौरा तह. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ म.

..प्रतिनिगराकार

निगरानी प्रस्तु न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के रा०प्र०क्र० /27। निगरानी/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक 25/03/2015 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं. 1959

- - - -

महोदय,

निगराकार की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यहकि निगराकार का सिजरा खानदान निम्नानुसार है :

तिजू कुशवाहा

कामता (मृत) (पुत्र)	मनुवा (मृत) (पुत्र)	चह्रयां (मृत) (पुत्र)	हज्जू मौजूद (पुत्र)
मलीदा पत्नि कामता नि:संतान		कूरा (पुत्र)	

2. यहकि माननीय राजस्व मण्डल मे कूरा के द्वारा निगराकार के रूप मे पक्षकार बनने की सहमति ना देने से कानूनी दृष्टि से उसे फार्मल पक्षकार के रूप मे प्रतिनिगराकार क्र. 2 पर पक्षकार बनाया गया है।

3. यहकि सिजरा मुताबिक कामता की मृत्यु होने पर उनकी पत्नि मलीदा ... की ... प्रतिनिगराकार क्र. 1 को नही की गई थी परंतु मृत्यु

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1681-एक/2015 जिला टीकमगढ़ **घासीराम विरूद्ध रामदास**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 271/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-06-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

31.12.18

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.12.18
सदस्य